

हरिजनसेवक

दो आना

भाग १०

सम्पादक - प्यारेलाल

अंक ५०

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी हाषामाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, कालपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० १९ जनवरी १९४७

वार्षिक मूल्य देशमें ₹० ६,
विदेशमें ₹० ८; शि० १४; डॉलर ३

श्रीरामपुरकी डायरी

[यह डायरी अलग-अलग अखबारोंमें छपी अखबारी खबरों परसे तैयार की गयी है। खयाल यह है कि जिस तरह, पढ़नेवालोंको गांधीजीकी वें सब बातें एक जगह पढ़नेको मिल जाया करें, जो अपनी जिन्दगीके जिस बहुत ही अहम मिशनके दरमियान वे सौंके-मौंकेसे कहते रहते हैं। —सम्पादक]

आबादीकी अदला-बदली

श्रीरामपुरमें गांधीजीके साथ रहनेवाले अखबारोंके नामा-निगारों या संवाद-दाताओंको खुदके सवालका जवाब देते हुअे गांधीजी ने कहा — “आबादीकी अदला-बदलीका सवाल न तो सोचने लायक है, न अमल करने लायक।”

जिसके बाद गांधीजी ने फिर यह कहा — “यह सवाल मेरे दिलमें कभी पैदा ही न हुआ। हरएक सूबेमें रहनेवाला हरएक आदमी हिन्दुस्तानी है, फिर वह हिंदू हो, मुसलमान हो या दूसरे किसी धर्मको माननेवाला हो। पाकिस्तानी हुकमतके पूरी तरह कायम हो जाने पर भी जिस हालतमें कोभी फर्क नहीं पड़ेगा।”

आगे चलकर गांधीजीने कहा — “मेरे खयालमें आबादीकी अदला-बदलीके सवाल पर गौर करनेका मतलब यह होगा कि हिन्दुस्तानकी समझदारी और खुशके मुसद्दीपनका या दोनोंका ही दिवाला निकल गया है। ऐसी किसी कार्रवाहीके ऊदरती नतीजों पर सोचते हुअे दिल काँप छुटता है।” और फिर शुन्हीं अपनी तरफसे यह सवाल पूछा कि — “क्या जिस रास्तेको अपनासे हिन्दुस्तानके ऐसे बनावटी टुकड़े न बन जायेंगे, जिनमें अलग-अलग धर्मों या मजहबोंको माननेवाले लोग अलग-अलग रहते होंगे?”

गांधीजीसे एक सवाल यह पूछा गया कि क्या आजकी निहायत उँवाडोल हालतमें आबादीके हेर-फेरका तरीका अख्तियार करनेमें समझदारी न होगी? जिसके जवाबमें गांधीजीने कहा — “मुझे ऐसी कोभी चीज दिखायी नहीं पड़ती, जिसकी वजहसे जिस तरीकेको अपनाया जरूरी हो जाय। यह तरीका तो द्वारे-थके और नाशुम्मेद लोगोंका ही हो सकता है, चुनाँचे, बिलकुल आखिरी खिलाजके तौर पर, और सो भी किसी खास हालतमें ही, यह अख्तियार किया जा सकता है।”

नोआखाळीका पैगाम

जिसके बाद जो सवाल पूछा गया, वह यों था — “आपने कुछ दिन कहा था कि पूरबी बंगालमें आपके रहनेकी कोभी मीयाद नहीं है। तो क्या आप यह सोचते हैं कि श्रीरामपुरमें बैठे-बैठे आप सुलह और शान्तिका अपना पैगाम नोआखाळीके दूसरे गाँवों तक पहुँचा सकेंगे?”

गांधीजीने जवाब दिया — “यह न समझिये कि मैं यहाँ, श्रीरामपुरमें ही, लम्बे अरसे तक पड़ा रहनेवाला हूँ। और, यहाँ भी मैं बेकार तो नहीं बैठा हूँ न? यहाँ बैठा-बैठा भी मैं आस-पासके गाँववालों और दूसरे लोगोंसे मिलता रहता हूँ। जिस बीच मैं यहाँकी असल हालतको समझनेकी कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही,

अपने जिस्मकी खोभी हुअी ताकत भी बढ़ा रहा हूँ। असलमें मेरा खिरादा यह है कि जब जरूरी और मुमकिन हो, तभी मैं जिधरके गाँवोंका पैदल दौरा करूँ, और घर-बार छोड़कर भागे हुअे बे-आसरा लोगोंको समझाऊँ कि वे वापस अपने-अपने गाँवोंमें रहने चले जायँ। सुन्हे अच्छी तरह समझानेके लिये यह जरूरी है कि पहले मैं खुद यहाँ की हालतको देख-समझ लूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज महज मेरी बातोंका कोभी खास असर नहीं होता। आपसके अविद्वानकी जड़ें जितनी गहरी पैठ गयी हैं कि आज लोगोंको दो बातें जोरसे कहने या समझानेभरसे काम नहीं चल सकता।”

“अँधेरा मेरे अन्दर है”

जिसके बाद गांधीजीसे यह पूछा गया कि चारों तरफ यह खबर फैल गयी है कि आप खुद अँधेरेमें भटक रहे हैं। जिस खबरमें कितनी सचायी है? आपने यह अँधेरा कब महसूस किया? जिसकी वजह क्या हुअी? जिस अँधेरेसे आपको कोभी रास्ता निकलता नजर आता है या नहीं?

गांधीजीने कहा — “मेरे खयालमें यहाँ मुझे यह कहना चाहिये कि जिस खबरमें बहुत सचायी है। मैं बाहरी हालतोंसे बेचैन नहीं हुआ हूँ। जिस अँधेरेकी वजह मेरे अन्दर ही मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि हिन्दू-मुसलमानोंके आपसी ताल्लुकातके बारेमें मेरी अहिंसा कोभी रास्ता नहीं सुझा रही है। जब नोआखाळीकी वारदातोंके समाचार मुझे मिले, तभी यह चीज मेरे दिलमें ज़यादा गहरावकी साथ पैठी।

“और, जब मैंने सुना कि यहाँ जोर-जबरदस्तीसे लोगोंका धर्म बदला गया है, और यहाँकी बहनोंको कभी तरहसे सताया गया है, तो मैं बहुत ही बेचैन हो छुटा। हालत ऐसी न थी, जिसमें मेरे लिखने या बोलनेभरसे कोभी नतीजा निकल सकता। जिसलिये मैंने अपने आपसे कहा — जहाँ मुझे काम करना है, वहीं पहुँच जा, और जिस खुसूलके बल पर आज तक तू टिका है, और जिसकी बदौलत मुझे अपना जीवन सफल मालूम हुआ है, उस खुसूलकी सचायीको कसौटी पर चढ़ा।

“मैंने सोचा, क्या सचमुच ही मेरी अहिंसा कमजोरोंका हथियार है, जैसा कि मेरी टीका करनेवाले हमेशासे कहते आये हैं, या दर-असल वह बहादुरों और बलवानोंका हथियार है? नोआखाळीकी वारदातें जिस बीमारीकी बाहरी निशानीभर हैं, उस बीमारीका कोभी तैयार खिलाज या हल जब मुझे न सूझा, तभी यह सवाल अकदम मेरे दिलमें खड़ा हुआ।

“यही वजह है कि मैं अपने दूसरे सभी कामोंसे किनारा खींचकर जिस बातका पता लगानेके लिये फ़ौरन ही नोआखाळी चला आया कि आखिर मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अहिंसाका मेरा हथियार सब तरह पूरा और पक्का हथियार है। अगर आज वह मेरे हाथमें ठीक काम नहीं दे रहा है, तो उसकी वजह मेरी अपनी कोभी कमी है, मेरे काम करनेके तरीकेकी कोभी खामी

है। दूर बैठे-बैठे अपनी जिस खात्री या कमीका पता लगाना मुमकिन न था। जिसलिये अपनी खात्रीको खोजनेकी कोशिशमें मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। अब जबतक मुझे खुजला नजर नहीं आता, तबतक मुझे यह क़बूल करना होगा कि मैं अँधेरेमें भटक रहा हूँ। यह खुजला मुझे कब ढीखेगा, सो तो अेक भगवान् ही जानता है। जिससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता।

“मेरी अहिंसाकी कड़ी कसौटी”

अेक मद्रासी अखबारके नामा-निगारने गांधीजीसे नीचे लिखा सवाल पूछा था—“क्या आप यह महसूस नहीं करते कि बंगालके वज़ीर यहाँ आपकी जिस मौजूदगीको अपने लिये अेक जुलम समझ सकते हैं, और यह सोच सकते हैं कि बाहरवाले तो यही खयाल करते होंगे कि यहाँ हम अपनी जिन्साफ़-पसन्दीकी वजहसे, भागे हुअे और बे-आसरा लोगोंको वापस लाने और बसानेकी जो कोशिशें कर रहे हैं, सो सब गांधीजीकी मौजूदगीके कारण ही करते हैं?”

गांधीजीने जवाब दिया—“आप क़बूल ही अेक चीज़ अपने दिलमें मान लेते हैं; ताहम अगर आपकी मानी हुअी बात सच हो, और खुसे हकीकतका बल हो, तो आपका यह क़यास सच हो सकता है, और मेरा यहाँ रहना अहिंसाके साथ बेमेल ठहर सकता है। खुशकिस्मतीसे मैं यहाँ, अविश्वास और सन्देहसे घिरे जिस वातावरणमें, अपनी अहिंसाको परखनेके लिये ही आया हूँ।

“मेरा दावा है कि दुनियाके जिस हिस्सेमें बसनेवाले हिन्दुओंकी तरह ही मैं यहाँके मुसलमानोंका भी दोस्त हूँ। आप याद कीजिये कि दक्खिनी अफ्रीकासे वापस हिन्दुस्तान आनेके कुछ दिनों बाद ही मैं चम्पारन गया था। वहाँ जानेपर सरकारकी तरफसे मुझे यह हुक्म दिया गया था कि मैं चम्पारन जिला छोड़कर चला जाऊँ। खुस हुक्मको तोड़नेके लिये मुझपर मुकदमा चलाया गया, और मुझे सज़ा सुनायी गयी। लेकिन खुस वक़्तके वाख़िरायके अेक हुक्मसे मेरी वह सज़ा रद्द कर दी गयी, और मुझे सज़ा देनेवाले मजिस्ट्रेटको यह हिदायत दी गयी कि वह न सिर्फ़ मुझे ग़ैरसरकारी तौरपर जाँच करनेकी जिजाबत दे, बल्कि खुसमें मेरी मदद भी करे। जिसका नतीजा यह हुआ कि मुझे सरकारकी तरफसे मुक़र्रर किये गये स्लाय कमीशनमें खुसके अेक मेम्बरके नाते काम करनेकी दावत दी गयी, और अेक सौ साल पुराना अन्याय दूर किया गया।”

औरतोंको सलाह

जब रोज़की तरह कल भी गांधीजी शामके वक़्त हवाखोरीको निकले, तो धानके अेक खेतके कोनेमें खड़ी कुछ बहनोंने बरसती आँखों खुनसे भेंटकी, और खुन्हें अपनी मुसीबतोंकी रामकहानी सुनाते हुअे बताया कि आजकल वे किस तरह अपने दिन बिता रही हैं।

अपनी आँखके आँसू पोंछते-पोंछते अेक बुढ़ियाने गांधीजीसे कहा—“महात्माजी! आप हमें बताजिये कि हम क्या करें। जब हम देखती हैं कि गाँवमें हमारे जान व मालकी हिफाजतका कोअी जिन्तज़ाम नहीं है, तो आप ही कहिये कि खुस हालतमें हम किस तरह अपने गाँवमें जायँ और रहें?”

गांधीजीने खुनसे कहा—“जबसे नोआखाली आया हूँ, तभीसे मैं आप सबको बराबर यह कहता रहा हूँ कि सब निडर बन जाजिये। जब जिस तरह, निडर बनकर आप अपने सब काम करेंगी, तभी आप यहाँ अमन-अमानके साथ, सुलह व शान्ति से जी सकेंगी।” जिसके बाद आसमानकी तरफ अंगुली सुठाकर खुन मिलने आयी हुअी बहनोंसे गांधीजीने कहा—“आप खुसपर श्रद्धा रखिये। खुसीकी प्रार्थना कीजिये, और खुसीसे डरिये। दुनियामें दूसरे किसीकी प्रार्थना न कीजिये, न और किसीसे डरिये।”

यूरोपको सलाह

मो० रेमॉण्ड कार्टियर नामके अेक फ्रेंच अखबारनवीस आज शामको श्रीरामपुर आये और गांधीजीसे खुनकी झोंपड़ीमें मिले।

खुनके कुछ सवालोंने जवाबमें गांधीजीने खुनसे कहा—“अगर यूरोपवाले हिंसाका रास्ता न छोड़ेंगे, तो वे जरूर ही मिट जायेंगे।”

मो० रेमॉण्डने पूछा—“यूरोपके हम सभी लोग हिंसाकी गोदमें पड़े हैं। हमसे अहिंसक बननेकी खुम्मीद आप कैसे रख सकते हैं?”

जिसके जवाबमें गांधीजीने कहा कि अगर वे जिसी तरह हिंसाके रास्ते पर चलते रहे, तो अेक दिन आयेगा, जब दुनियामें खुनका नाम-निशान भी न रह जायगा। आखिर यूरोपमें हुआ क्या? हिटलरशाहीको मिटानेके लिये सवाअी हिटलरशाहीसे काम लिया गया, लेकिन बुराअीके जिस चक्करका तो कोअी अन्त नहीं। यह जिसी तरह चलता रहेगा।

मो० रेमॉण्डने पूछा—“क्या नये ढंगकी किसी तालीमसे जिसका कोअी हल निकल सकता है?” जिसके जवाबमें गांधीजीने खुनसे कहा—“बेशक, नअी दुनियाकी रचनाके लिये तालीम भी नये ढंगकी होनी चाहिये।” फिर आल्ड हक्स्लीका जिक्र करते हुअे खुन्होंने कहा—“आज यूरोपवालोंके दिमागमें नये ढंगके जो खयालात काम कर रहे हैं, मि० हक्स्ली खुनकी तुमाजिन्दगी करते हैं। मुमकिन है कि आज वहाँ खुनके जैसे लोगोंकी तादाद कम हो, फिर भी अगर यूरोपको खुदकुशीसे बचना है, तो खुसे अहिंसाके ढंगका कोअी-न-कोअी जिलाज अपनाना ही होगा।”

छोटे-छोटे राष्ट्र किस तरह बचें?

जिसपर मो० रेमॉण्डने गांधीजीसे पूछा—“अहिंसाके जरिये हिटलरशाहीका जाल्ता किस तरह किया जा सकेगा?” जवाबमें गांधीजीने कहा—“यही तो वह चीज़ है, जो हम सबको खोज निकालनी है। वरना, खुसकी ग़ैरमौजूदगीमें, अगर हिटलरके ढंगकी हिंसाको मिटानेके लिये खुससे बड़ी-चढ़ी हिंसाका ही सहारा लेना जरूरी हो, तो कहना होगा कि जिस तरीक़ेसे छोटे-छोटे राष्ट्र तो किसी तरह ख़बर ही न सकेंगे। जब कोअी भी अेक राष्ट्र निजी तौर पर, अकेले दम, हिटलरशाहीसे या हिंसाकी मिली-जुली ताक़तोंसे दब जाने या हार जानेसे अिनकार करेगा, और अपनी जिज़्जत-आवरू खोकर नहीं, बल्कि अपनी जानको दौंव पर लगाकर अपनी जगह पर डटा रहेगा, तभी खुसके बचनेकी कोअी गुंजाजिश रहेगी। जिस तरह अकेली अहिंसा ही बचावकी अेक अैसी गारण्टी है, जो बड़े-से-बड़े संख्याबलके सामने भी टिक सकती है। अगर हम अपनेमें अितनी हिम्मत और अैसी प्रतीकार भावना पैदा न कर सके, तो प्रजातंत्र या जमहूरियतकी भी ख़ैर नहीं।”

भागे हुअे बेआसरा लोगोंको सलाह

२१ दिसम्बर, १९४६के दिन गांधीजीने प्रार्थनाके बाद जो तक्ररि की थी, खुसका अेकोशियेटेड् प्रेसकी तरफसे मेज़ा गया सही अहवाल नीचे दिया जाता है—

अपनी तक्ररि शुरू करते हुअे गांधीजीने कहा—“दान देने और लेनेके बारेमें मैं बहुत ही सफ़्त खयाल रखता हूँ। जिस तरह किसीका किसीको मुफ़्तमें कोअी चीज़ बतौर बख़िशके देना ग़लत है, खुसी तरह किसीका किसीसे कोअी चीज़ मुफ़्त ही बतौर बख़िशके लेना भी ग़लत है। हमारे देशमें अक़सर अधर्म धर्मका बाना पहनकर घूमता नजर आता है। कहा जाता है कि हिन्दुस्तानमें धर्म के नामपर भीख माँगकर पेट भरनेवाले साधुओं और फ़कीरोंकी तादाद ५६ लाखकी है। जिनमें ज्यादातर अैसे लोग हैं, जो किसी तरह जिस लायक नहीं माने जा सकते कि खुन्हें मुफ़्तमें खिलाया जाय। और तो और, रंज और ग़मसे भरे जिस देशमें खुआइतके धिनौने रिवाजको भी धर्मका आधार दिया गया है।”

जिसके बाद जिसी सिलसिलेमें गांधीजीने आगे कहा—“जिनके घर-बारका ठिकाना नहीं है, खुन निराश्रितोंको राहत पहुँचाने और खुन्हें फिरसे ठिकाने लगाकर अपने-अपने गाँवोंमें बसानेका सवाल

बहुत ही गंभीर बन गया है। सारे हिन्दुस्तानके लोग नोआखालीके मुसीबतभ्रदा लोगोंके लिये रुपया-पैसा भेजकर और दूसरी कमी तरहकी चीजें मुफ्तमें देकर खुनकी मदद करना चाहते हैं, और आज आसार यह नजर आते हैं कि कहीं यहाँवाले आम लोगोंके दानपर खुश-खुशी अपना काम चलानेकी ज़हनियतके बिकार न बन जायें। जिसलिये आज जरूरत यह है कि दो बातोंकी सख्त मुजालिफ़तकी जाय — एक, लोगोंकी खुस ज़हनियतकी, जो यह मानकर सस्ता संतोष अनुभव करती है कि लोगोंको मुफ्तमें चीजें देनेसे देनेवाले पुण्यके हज़ारदार बनते हैं, और दूसरे, खुस ज़हनियतकी, जो दूसरोंसे मुफ्तमें मिलनेवाली चीजें लेकर खुनके भरोसे अपना काम चलाना पसंद करती है।

जिसके बाद दान देनेवाली पब्लिक संस्थाओंके जिस रखकी, और भागे हुअे बे-आसरा लोगोंके साथ सरकारको कैसा रुख अख्तियार करना चाहिये, जिसकी तुलना करते हुअे गांधीजीने समझाया कि जिसमें कोअी शक नहीं कि निराश्रितोंकी छावनियोंमें जो लोग अिकट्टा हुअे हैं, वे वहाँ अपने किसी कसूरकी वजहसे नहीं पहुँचे हैं। खुनमेंसे कजियोंके घर जला डाले गये हैं, जिससे खुनके पास रहने-बसनेका कोअी ठौर-ठिकाना ही नहीं रह गया है; दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनके घर या झोंपड़े तो सलामत हैं, मगर माल-मिल्कियत सब छुट चुकी है; तीसरे वे लोग हैं, जो खास-तौरपर महज जिस डरसे अपने घर-बार छोड़कर भागे गये हैं कि गाँवोंमें खुन्हें अपने जान-मालकी हिफ़ाजतका कोअी भरोसा नहीं रह गया था। जिसलिये सरकारको चाहिये कि वह हर तरहके लोगोंकी मली-बुरी हालतका पूरा-पूरा विचार करके खुसके मुताबिक खुनका अिन्तजाम करे, और यह देखे कि लोग अपनी सलामतीका खयाल लेकर ही अपने घरों और गाँवोंको लौटें।

जिसलिये जबतक गाँवोंमें लोगोंके जान-मालकी हिफ़ाजतके लिये जरूरी हालत पैदा नहीं होती, तबतक हिजरती लोग अपने बाल-बच्चोंके साथ अपने-अपने गाँवों और घरोंमें न लौटें, तो खुस हालतमें सरकारके लिये यह ठीक न होगा कि वह महज जिसलिये खुनका राशन बन्द कर देनेका तरीका अपनाये। अगर भागे हुअे लोगोंसे यह शुम्मीद रक्खी जाती है कि खुन्हें अपने-अपने घर पहुँच जाना चाहिये और वहाँ फिरसे बसनेकी कोशिश करते हुअे सब तरहकी आफ़त-मुसीबतका, और जरूरत पड़ने पर मौतका भी, सामना करना चाहिये, तो सवाल यह पैदा होता है कि फिर राज या सरकारकी जरूरत ही क्या रह जाती है? वह तो एक ऐसी अराजक हालत होगी, जो खुद लोगोंने सोच-समझकर कायम की होगी, और जिसमें हर आदमी बड़े-से-बड़े खतरोंका सामना अपने ही बल-बूते कर सकेगा। लेकिन आज समाजकी हालत यह है कि समाज-सेवाके और दूसरे बहुतसे जरूरी काम सरकारी या राज-दरबारी संस्थाओंको ही चलाने पड़ते हैं।

लोगोंकी पूरी-पूरी हिफ़ाजतका फ़र्ज़

जिसका मतलब यह हुआ कि लोगोंकी पूरी-पूरी हिफ़ाजतका अिन्तजाम करना ही होगा। जिसके लिये ऐसी हवा पैदा करनी होगी, जिसमें लोग फिरसे अमन-अमानके साथ अपना गुज़र-बघर कर सकें। जबतक ऐसी हवा पैदा न हो, तबतक राहतका अिन्तजाम चाह्ये।

लेकिन दान देनेवाली पब्लिक संस्थाओंकी बात बिलकुल दूसरे ढंगकी है। मेरी यह सफ़ा राय है कि किसी भी आदमीका सदाव्रतों या लंगरोंसे मिलनेवाली ख़ैरात पर जीना बुरा है। जिन दिनों दक्खिनी अफ्रीकामें सत्याग्रहकी लड़ायी चल रही थी, खुन दिनों वहाँ सत्याग्रहियोंके खर्चका अिन्तजाम करनेके लिये खुले हाथों बड़ी-बड़ी रकमोंके दान दिये गये थे। सत्याग्रहियोंके बाल-बच्चों और खुनके सहारे जीनेवाले

दूसरे लोगोंको बसानेके लिये ट्रान्सवालमें लॉलीके पास टॉलस्टॉय फॉर्म कायम किया गया था, जहाँ वे सब लोग अपने-अपने गुज़ारेके लिये अपने भरसक मेहनत-मजदूरी करते थे। जिसका नतीजा यह हुआ कि जब लड़ायी ख़त्म हो गयी, तो सत्याग्रहका संचालन करनेवाली संस्था दानमें मिली हुअी बहुत बड़ी रकम दाताओंको वापस लौटा सकी थी।

जिसी असूलके मुताबिक यहाँ काम करनेवाली ख़ैराती संस्थाओंको भी चाहिये कि वे लोगोंको साफ़ लफ़्ज़ोंमें यह कह दें कि हरअेक आदमीको सच्ची मेहनत करके खाना चाहिये—जो वग़ैर मेहनत-मजदूरी किये अेक बार भी मुफ्तका खाता है, वह अपनेको बे-अिज़्जत बनाता है। अगर हम मेहनत-मजदूरीसे जी चुराना छोड़ दें, और अचानक आये हुअे दिनोंके फेरका मुकाबला करना सीख लें, तो हम निडर बनने और अपने राष्ट्रीय या कौमी सदाचारको अँचा खुठानेकी दिशामें बहुत भागे बढ़ सकें।

घर-बार छोड़कर भागे हुअे बे-आसरा लोगोंसे मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूँ कि चाहे आप गरीब हों या अमीर, आप सबको चाहिये कि आप सरकारसे यह कह दें कि सुबह-शाम सरकारी लंगरोंसे ख़ैरातके तौर पर खाना लेना आपकी अिनसानियतकी शानको ख़ेब नहीं देता। क्या गरीब और क्या अमीर, किसीके पास आज कुछ रह नहीं गया है, जिसलिये समीको अनाज़, कपड़े, रहनेकी जगह और डॉक्टरी मददकी जरूरत है। जिसलिये आप सबको हक़ है कि आप अिन्दगीकी अिन बुनियादी जरूरतोंका अिन्तजाम करनेके लिये सरकारसे कहें। लेकिन अगर आपमेंसे अेक भी तन्दुरुस्त औरत, मर्द, लड़का या लड़की अपनी-अपनी ताकतके मुताबिक मेहनत-मजदूरी किये बिना जिस तरहकी मदद लेगा, तो वह अेक तरहसे समाजकी चोरी ही करेगा; जिसलिये आप सब सरकारसे यह कहिये कि वह आपको आपके लायक और समाजके काम आनेवाला कोअी काम-धन्धा दे।

२४ दिसम्बरकी प्रार्थनाके बादकी तक्ररीरसे

अपनी तक्ररीर शुरू करते हुअे गांधीजीने कहा—“मेरे पास रोख रोख ये शिकायतें आती रहती हैं कि जिन लोगोंने दंगोंके दिनोंमें ज़्यादातियों की हैं, जुर्म किये हैं, वे आज भी आजादीके साथ घूम-फिर रहे हैं; यही वजह है कि लोगोंका डर दूर नहीं होता। अगर यह सच हो, तो भी मैं आपको सलाह दूँगा कि आप हिम्मतसे काम लेकर अपने-अपने घरोंको लौट जायिये। कुछ लोगोंने मुझसे यह शिकायत भी की है कि सरकार खुन्हें खुनके घर बनानेके लिये जो रकम देना चाहती है, वह तो किसी किस्मका छप्पर बाँधनेके लिये भी काफी नहीं है। जिसके बारेमें मुझे यक़ीन है कि चूँकि सरकारने हिजरती लोगोंको वापस खुनके गाँवोंमें ले जाने और बसानेका फ़ैसला किया है, जिसलिये वह खुन्हें जरूरी मदद दिये बिना न रहेगी।

स्वावलम्बन

“मैं खुद तो यह ज़्यादा पसन्द करूँगा कि अपनी मौजूदा मुश्किलोंका सामना करनेके लिये हिजरती लोग खुद ही अपनी सूझ-बूझसे अपनी जरूरतका सामान पैदा कर लें। जो आदमी अपने लिये किसी चीज़की भीख नहीं माँगता, और जो अपनी हिफ़ाजतके लिये दूसरोंका मुँह नहीं ताकता, उसके सामने मेरा सिर अदबके साथ झुक जाता है। अगर आपमेंसे कोअी अपनी हिफ़ाजतके लिये मुझ पर भरोसा रखते हैं, तो समझिये कि वे अेक निकम्मी चीज़ पर भरोसा रख रहे हैं। आदमीकी सच्ची और कारगर हिफ़ाजत तो तभी होती है, जब वह अपने अन्दर मौजूद ताकतका यानी

(पृष्ठ ४८८ पर)

हरिजनसेवक

१९ जनवरी

१९४७

हिन्दुस्तानके पुतलीघर

अहमदाबादके मिल-मजदूर-संघके मंत्री श्री खण्डुभाभी देसाभीने सन् १९४०से १९४६ तकके लड़ाईके दिनोंमें हिन्दुस्तानके कपड़े और सूतके सुयोगकी हालतपर रोशनी डालनेवाला जो बयान तैयार किया है, वह जरूरी काट-छाँटके साथ जिसे अंकमें दूसरी जगह किया गया है। श्री खण्डुभाभी कहते हैं कि सुनके दिये आँकड़ों पर कोभी अंतराज नहीं किया जा सकता। अगर सुनका यह दावा सच हो, तो सुनके अिन आँकड़ोंपरसे नीचे लिखे नतीजे निकलते हैं—

१. हिन्दुस्तानमें कपड़े और सूतकी मिलोंके सुयोगका करोड़-करोड़ सारा कार-बार सिर्फ़ डेढ़ सौ व्यापारी पेड़ियोंके हाथमें है।

२. यह सुयोग राष्ट्रके फ़ायदेकी ध्यानमें रखकर नहीं चलाया गया है।

३. जिस बीच हिन्दुस्तानका राज-काज चलानेवाली सरकारके साथ मिलकर मिलोंके अेजण्टों यानी मिल-मालिकों ने अपना कार-बार जिस तरह चलाया, कि सुसकी वजहसे देशमें कपड़ेका काल पड़ा, काले बाजार चले, सुनकी मिलोंमें तैयार होनेवाले मालकी कीमत सुसकी लागत कीमतके मुक़ाबले बेहद बूँची रही, औरवाजिब तरीक़ेसे बढ़ाओ गयो जिस कीमतसे कपासकी खेती करनेवाले किसानोंको और खुद सुन्हींके कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरों व दूसरे लोगोंको अपनी पैदावार व मजदूरी वगैरामा पुरा-पुरा मुआवजा न मिला, और देशकी आम रियायाकी चूसकर या लट्कर मिल-मालिकों ने एक अरब रुपयेका नफ़ा कमाया और वे मालामाल हो गये।

४. फिर, ये मिल-अेजण्ट अपने काममें अनगढ़ या अ-कुशल हैं।

५. जिसलिखे राष्ट्रकी पूँजी और मिलियतके दूस्टीके नाते वे जिस सुयोगका कार-बार चलानेमें नालायक साबित हुये हैं।

६. दूस्टीके नाते अपने जिस नैतिक अपराधके सिवा, जिस सुयोगमें पूँजी लगानेवाले लोगोंको जिस बीच नफ़ेकी शकलमें अपनी कुल लागत-पूँजीके मुक़ाबले कहीं ज़्यादा मुआवजा मिल चुका है, चुनोंचे अगर राष्ट्र जिस सुयोगको अपने हाथमें लेनेका फ़ैसला करे, तो अपने जिस अधिकार पर अमल करते समय जिस सुयोगमें लगाओ गयो पूँजी या जिसके हाथों राष्ट्रकी जो सेवा हुयी है, उसके बदलेमें उसे कोभी मुआवजा देनेका फ़र्ज़ राष्ट्रके सिर नहीं रहता।

खुद श्री देसाभी ने भी साफ़ शब्दोंमें यह आखिरी नतीजा निकाला है, लेकिन जिस बयानको तैयार करते समय सुनकी मन्शा यह न थी कि वे राष्ट्रको ऐसा कोभी क्रदम छुठानेके लिखे मजबूर करें। शायद सुनका यह खयाल हो कि आज जिस तरहका कोभी क्रदम छुठानेके लिखे राष्ट्र तैयार नहीं है। 'राष्ट्रीकरण'को —यानी बड़े-बड़े सुयोगोंका, और माल-असबाब व लोगोंको अेक जगहसे दूसरी जगह लाने-ले-जानेके जरियोंका, सारा अिन्तजाम राजके अपने हाथमें ले लेनेको — अेक सुसूली आदर्शकी शकलमें पेश करना बहुत आसान है, लेकिन जब सरकारको जिस आदर्श पर अमल करनेकी बात सोचनी पड़ जाय, तब बहुत मुमकिन है कि वह अपनेको ऐसी जिम्मेदारीके लिखे पूरी तरह तैयार न पाये। यहाँ यह बात समझने लायक है कि अलग-अलग स्थापित हितोंको जिस बातका पता रहता है कि आम तौरपर सरकारें जिस कामके लिखे तैयार नहीं होतीं; नतीजा यह होता है कि सुन सबका लोभ और स्वार्थ पुष्ट होता रहता है, और फिर अपने मतलबको पूरा करनेमें वे कोभी विक्रान्त या रुकावट महसूस नहीं करते।

श्री खण्डुभाभी देसाभी खुद धारासभाके अेक मेम्बर हैं। जिसलिखे सहज ही सुन्हींने सिर्फ़ कानूनी अिलाज सुझाये हैं। मसलन, सुन्हींने यह तजवीज पेश की है कि "सिर्फ़ खरीदारोंके हितका खयाल रखकर कपड़ेकी पैदावार और सुसके बँटवारे पर अंकुश रखनेवाला अेक 'टेक्स्टाइल कण्ट्रोल अेण्ड सप्लाय कमीशन' मुकरर किया जाय, और "कानून तोड़ने पर कैदके साथ दूसरी बहुत कड़ी सज़ायें" दी जायें।

अगर राज-काज चलाने और कानून बनानेवाले लोग खुद अितना-कुछ कर सकें, सो सब करें, तो जिसमें किसीको कोभी अंतराज नहीं हो सकता। लेकिन कानूनों और क़ायदोंके अमल पर जरूरतसे ज़्यादा भरोसा रखने और यह समझकर चलनेमें लोग बड़ी ग़लती करेंगे कि खुले बाजारसे अपनी जरूरतका कपड़ा पानेके लिखे साफ़ लफ़्ज़ोंमें अेक कड़ा कानूनभर बनवा लेना काफ़ी होगा। मेरे खयालमें आज हालत यह है कि अगर सरकार सिविल सर्विसके अेक महकमेके जरिये मिलोंका सारा कार-बार खुद चलाने लगे, तो भी सुसकी वजहसे कपड़ेके मामलेमें सुन लोगोंको कोभी खास राहत नहीं मिलेगी, जिन्हें दर असल सुसकी ज़्यादा-से-ज़्यादा और सच्ची जरूरत है। जिसका अेक ही मुनासिब अिलाज है, और वह है — स्वावलम्बन। अगर सचमुच ही लोग यह चाहते हैं कि सुन्हीं ज़्यादा कपड़ा मिले, या कपड़ेके सुयोगका राष्ट्रीकरण किया जाय, तो सुन्हीं चाहिये कि वे मिलके कपड़ेका अिस्तेमाल करना छोड़ दें, अपने-अपने घरोंमें अेक-अेक तकुअेवाली मिल खड़ी कर लें और अपने गाँव या क़स्बेमें बुनाभीके धन्धेको संगठित करके सुसे मजबूत बुनियाद पर खड़ा कर दें। हाथ-करघोंपर कपड़ा बुननेवाले बुनकरों और जुलाहोंको भी चाहिये कि वे गहरे पैठकर दूरन्देहीके साथ जिस मसले पर ग़ौर करें। अगर वे चाहते हैं कि सुनका धन्धा बारहों महीने, बिला नागा चले, और सुन्हीं अपने धन्धेके सिलसिलेमें किसीकी सुशामद न करनी पड़े, किसीको रिश्वत न देने पड़े, तो सुन्हीं चाहिये कि वे न सिर्फ़ मिलके सूतका भरोसा न रखें, बल्कि सुसे हमेशाके लिखे छोड़ दें। क्योंकि जिन दलीलोंसे मिलोंमें कतनेवाले सूतकी हिमायत की जाती है, वे सभी दलीलें मिलोंकी बुनाभीपर भी लागू होती हैं। जुलाहे जिस बातको न भूलें कि जिस तरह आज घरकी हाथ-कताभीको पुराने अमानेकी अेक निकम्मी निशानी कहकर ठुकरानेकी बात कही जाती है, सुसी तरह अेक दिन आयेगा, जब यही बात हाथ-बुनाभीके लिखे भी कही जायगी। जहाँ अेक जगह बड़े-बड़े पुतलीघर खड़े करके कपड़ा बनाया जाता है, वहाँ क्या कतिनें और क्या जुलाहे, दोनों, पुतली-घरोंमें मजदूरी ही कर सकते हैं—वे आज़ाद कारीगर नहीं रह सकते, फिर मले ये पुतलीघर कुछ पूँजीपतियोंके हाथमें हों, या अिनपर सरकारका कब्ज़ा हो। जो समझदार जुलाहा आज मिलका सूत बुनकर काले बाजारके जरिये होनेवाले नफ़ेको छोड़ देगा, और हाथ-कता सूत बुननेका आम्रद रखेगा, सच है कि सुसके संगी-साथी आज सुसे धीवाना कहकर सुसका मजाक सुझायेंगे, लेकिन जल्दी ही अिन मजाक सुझानेवाले 'बुनियादार' लोगोंको पता चल जायगा कि सच्चा हिसाब तो जिस 'धीवाने'ने ही लगाया था।

साबरमती, ५-१-४७

किशोरलाल घं० मशरूवाला

(अंग्रेज़ीसे)

रचनात्मक कार्यक्रम — सुसका रहस्य और स्थान

(नवी और सुघरी हुयी आवृत्ति) (गांधीजी) ०-६-० ०-१-०

मरुकुंज — क्षयरोगका निवारण (मथुरादास त्रिकमजी) १-४-० ०-५-०

हमारी बा — सुनकी जीवन-कस्तूरी

(वनमाला परीख और सुशीला नट्यर)

२-०-० ०-६-०

हिन्दुस्तानका वस्त्र-व्यवसाय

(सन् १९४०से १९४६ तक)

नीचे मैं जिन हकीकतों और आँकड़ोंकी चर्चा करना चाहता हूँ, उन्हें आगे आनेवाली पीढ़ियाँ अेक तरफ़ स्थापित हितों और दूसरी तरफ़ आम लोगोंके आपसी सम्बन्धोंके इतिहासका अेक काला अध्याय मानेंगी।

शुद्योगका माली ढाँचा

देशकी कपड़ेकी मिलोंके समूचे शुद्योगमें चुकायी हुयी पूँजीकी शकलमें करीब ५० करोड़ रुपये लगे हुये हैं, और जिसके हिस्सेदारोंने जितनी ही जोखिम अपने सिर ली है। यह बात और करने लायक है कि जिस चुकायी हुयी पूँजीका ज़्यादातर हिस्सा देशकी करीब १५० मैनेजिंग अेजण्टोंकी फर्मों या पैदियोंके हाथमें है, और जिस तरह ये डेढ़ सौ मिल-मालिक ही देशके जिस ज़बरदस्त शुद्योगके मालिक हैं। वे ही जिसपर काबू रखते हैं, और जिस शुद्योगकी पैदावारका अिस्तेमाल करनेवाले करोड़ों लोगोंके हितकी ज़रा भी परवाह किये बिना अपना निजी मतलब गाँठनेमें खुससे बेजा फ़ायदा छुटाते हैं।

जिस शुद्योगके पास मकान, ज़मीन और मशीनोंकी शकलमें करीब १०० करोड़ या अेक अरब रुपयोंकी फ़ायम पूँजी है। यहाँ जिस बातका खयाल रखना चाहिये कि जिस क़ीमतका कुछ हिस्सा, खासकर बम्बयीमें, पहली बड़ी लड़ायीके वक़्त फ़िरसे आँका जाकर बनावटी तरीक़ेसे बढ़ाया गया है। जिस शुद्योगमें करीब २ लाख कपड़े और १ करोड़ तकुये हैं। पिछली लड़ायीके पहले जिसमें चार अरब बीस करोड़ ग़ज कपड़ा तैयार होता था, और करीब पाँच लाख मज़दूर जिस काममें लगे हुये थे। लड़ायी शुरू होनेके बाद रातपाली शुरू होनेकी वज़हसे जिसमें काम करनेवाले मज़दूरोंकी तादाद बढ़कर ७ लाख हो गयी। मगर खुसी हिस्सेसे मालकी पैदावारमें बढ़ती नहीं हुयी। रातपालीका काम बढ़ जानेपर भी मालकी पैदावारका न बढ़ना ज़रा अजीब-सा मालूम होता है। मगर जिस शुद्योगसे नज़दीकका ताल्लुक़ रखनेवाले देख सकते हैं कि चूँकि मिल-मालिकोंने सरकारकी मददसे अपने लिये खासा अच्छा मुनाफ़ा कर लिया है, जिसलिये वे लापरवाह, अ-कुशल और सुस्त बन गये हैं।

लड़ायीके ज़मानेका मुनाफ़ा

मिल-मज़दूरोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अपने कामके सिलसिलेमें जिस शुद्योगके करीब तीन-चौथायी हिस्सेके 'वैलेन्स शीटों' या आँकड़ोंपर और करनेका मुझे मौक़ा मिला है।

देशके जिस पूरे शुद्योगका लड़ायीसे पहलेका कुल नफ़ा करीब पाँचसे छह करोड़ रुपयेका था। कपड़ा, सूत वगैरा तैयार मालकी क़ीमत करीब ६० करोड़ रुपये थी। जिसमें मालका बैटवारा करनेवाले बीचके व्यापारियों और आइतियोंके मुनाफ़ेकी २० फ़ी सैकड़ा रक़म और जोड़ देनेपर कपड़ेका अिस्तेमाल करनेवाले लोगोंकी यह कपड़ा और सूत ७२ करोड़ रुपयोंमें पड़ा था। कुछ कपड़ा देशसे बाहर भी भेजा गया था, मगर वह जितना थोड़ा था कि आम नतीजे पर पहुँचनेके लिये हम खुसे छोड़ भी दें, तो कोयी हर्ज़ नहीं।

जनवरी सन् १९४१के बादसे कपड़ेकी क़ीमतें बढ़ने लगीं। सन् १९४२के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बरमें क़ीमतें यकायक बहुत ही ख़ूबी चढ़ गयीं, और १९४३के मधी महीनेमें तो वे आखिरी छोरपर जा पहुँचीं। जिस वक़्त कपड़ेकी क़ीमत लड़ायीके पहलेकी क़ीमतसे साढ़े पाँच गुनी बढ़ गयी। जिसी बीच काले बाज़ार शुरू हो चुके थे, जिसलिये आम लोगोंको तो जिन दामों भी कपड़ा नहीं मिलता था, और उन्हें ख़ुपर दिये गये दामोंसे ५० या १०० फ़ी सैकड़ा ज़्यादा दाम देकर माल खरीदना पड़ता था। बादमें सन् १९४३के बीचके

महीनोंमें सरकारने आम लोगोंके फ़ायदेके लिये खुद दख़ल देनेकी कोशिश की, मगर जिसके लिये खुसने जो कार्रवायी की, वह जितनी मामूली थी कि खुससे जनताको कोयी फ़ायदा न हुआ, खुलटे काले बाज़ार और भी बढ़ गये, और मिल-मालिकोंके हाथों होनेवाले जनताके शोषणको न सिर्फ़ जायज़ और अधिकारपूर्ण ठहराया गया, बल्कि खुसे बढ़ावा दिया गया, और खुसपर प्रामाणिक धन्धेकी मुहर लगा दी गयी। जिसके लिये 'क्लॉथ-कन्ट्रोल-बोर्ड' के नामसे जो कमेटी फ़ायम की गयी थी, खुससे ज़्यादा अच्छी खुम्मीद कोयी कर भी न सकता था; क्योंकि जिस बोर्डमें खुन्हीं मिल-मालिकोंका बोल-वाला था, जिनसे जनता अपनी हिफ़ाजत चाहती थी। जनता पर डाली हुयी जिस मोहिनीका नतीजा नीचे दिये हुये आँकड़ोंसे मालूम हो जायगा।

हिन्दुस्तानका वस्त्र - व्यवसाय

(लड़ायीके ज़मानेका मुनाफ़ा-करोड़में)

साल	कुल नफ़ा	अेजण्टोंका कमीशन	मालकी क़ीमत (अेक्स-मिल)	गाहकोंकी चुकायी हुयी क़ीमत
लड़ायीसे पहलेके सालोंमें				
१९३८	५	१	६०	७२
१९३९	५	१	६०	७२
लड़ायीके ज़मानेमें				
१९४०	७	१	७०	८४
१९४१	२३	३	१००	१२०
१९४२	४६	५	१५०	२५०
१९४३	१०९	१०	२७०	४८०
१९४४	८५	९	२१०	३७०
१९४५	६१	७	१८०	३२४
१९४६	४१	५	१७०	३०६

(अन्दाज़न)

जोड़ ३७२ ४० ११५० १९३४

यह बात समी जानते हैं कि टैक्सोंके जरिये सरकारने जिसमेंसे करोड़ों रुपये लिये हैं, और जिस टैक्सकी वसूलीके लिये मिल-मालिकोंने सरकारके आइतियोंका काम किया है। लड़ायीके दरमियान जिस टैक्सने कपड़ेका अिस्तेमाल करनेवाले हरअेक मर्द, औरत और बच्चेके लिये ज़िजियाकी शकल अख़्तियार कर ली थी। ख़ुपरके आँकड़ोंसे यह देखा जा सकता है कि लड़ायी शुरू होनेसे पहले जहाँ लोग हर साल फ़ी आदमी रु० २-१२-० देते थे, वहाँ लड़ायीके सालोंमें खुन्हीं रु० ६-१२-० देने पड़े। यहाँ यह बतला देना ज़रूरी है कि स्थापित हितों और सरकारी तिजोरीके स्वार्थका खयाल करके ही जिस देशमें जान-बूझकर कपड़ेकी क़ीमतें जिस हद तक बढ़ने दी गयीं; जबकि अंग्लैण्ड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा वगैरा देशोंके लड़ायीमें सीधी तरह शामिल होनेपर भी वहाँ कपड़ेकी क़ीमतें ३०फ़ीसदीसे ज़्यादा नहीं बढ़ने पायीं। लड़ायीसे पहलेके सालोंमें मिलोंमें तैयार हुये मालकी मामूली 'अेक्स-मिल' क़ीमत सिर्फ़ ६० करोड़ रुपये थी; जब कि जिन सात सालोंमें वही औसतन् १६४ करोड़ रुपये हो गयी है। यहाँ यह बात खास तौरपर और करने लायक़ है कि लड़ायीके पहले तो गाहक जिस क़ीमत पर कपड़ा पा भी जाता था, मगर यहाँ काला बाज़ार शुरू हो जानेकी वज़हसे लड़ायीके दिनोंमें और खुसके बाद अपना कपड़ा खरीदनेके लिये खुसे कम-से-कम ५० फ़ी सैकड़ा ज़्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। क्या शहरोंमें और क्या गाँवोंमें, सरकार द्वारा ठहरायी गयी क़ीमत पर कपड़ा पा जाना मामूली गाहकके लिये नामुमकिन है। जिसीलिये सन् १९४२के बाद की क़ीमत मैने बढ़ाकर लिखी है, क्योंकि जिस साल से काला बाज़ार बढ़े पैमानेपर शुरू हो गये थे, जिनकी वज़हसे गाहकों को यह क़ीमत चुकानी पड़ती थी। अगर हम ख़ुपर दिये गये मुनाफ़े के आँकड़ोंको मिलाकर देखें, तो हमें दंग रह जाना पड़े। जिस शुद्योग

में सिर्फ ५० करोड़ रुपये की पूँजी लगी है, और जिसकी कायम पूँजी १०० करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है, और लड़ाजी से पहले जिसकी पैदावार की सालाना कीमत सिर्फ ६० करोड़ रुपये थी, उसे एक ही साल में १४९ करोड़ रुपयोंका और सात सालके दरमियान औसतन ५३ करोड़ रुपये सालानाका मुनाफ़ा झुठाने दिया गया। जिस तरह सिर्फ एक सालका औसत मुनाफ़ा लड़ाजीसे पहलेकी सालाना पैदावारकी कीमतके ७५ फ़ीसदीसे भी ज्यादा हुआ। सन् १९४२ से १९४५ के दरमियान जिस शुयोगका सालाना औसत मुनाफ़ा करीब-करीब उसकी कायम पूँजीके बराबर ही था। यानी जिन तीन बरसोंमें मिल मालिकोंने आमलोगोंसे सिर्फ मुनाफ़ेकी शकलमें अपने कारखानोंकी अदाजी गुनी कीमत वसूल कर ली—यानी कपड़ेकी माँग पूरी करनेके लिये खड़े किये गये कारखानोंकी कीमतसे कभी गुनी ज्यादा रकम देशके ४० करोड़ गाहक लड़ाजीके जिन दिनोंमें खुन्हें दे चुके हैं। जिसलिये न्यायकी, नीतिकी और आर्थिक दृष्टिसे भी अब यह शुयोग देशकी मिल्कियत माना जा सकता है। और, वाजिब तौर पर देखा जाय, तो अब किसी भी किस्मका हरजाना या मुआवजा लिये बिना यह शुयोग राजके सिपुर्द कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि ४२० मिलोंकी कुल कीमतसे कहीं ज्यादा रकम देनेके लिये आमजनताको मजबूर किया गया है। अगर मैनेजिंग अेजण्टोंको मिलनेवाले कमीशन पर एक सरसरी नजर डाली जाय, तो पता चलेगा कि खुन्होंने जो रकम ली है, वह पूरे शुयोगके मामूली मुनाफ़ेसे बहुत ज्यादा है। मिल-शुयोगकी जो सेवा वे करते कहे जाते हैं, और खुसके लिये मामूली वक्रतमें खुनको जो कमीशन दिया जाता था, खुससे जिस लड़ाजीके दिनोंमें ही हुअी कमीशनकी रकम दस गुनी ज्यादा होती है। किसी भी तरीकेसे देखने पर मालूम होगा कि अपना एक किस्मका गुट बना लेनेवाली जिन १५० फ़र्मोंने अपने करोड़ों गाहकोंको नुकसानमें रखकर, यानी देशको नुकसान पहुँचाकर, खुद फ़ायदा झुठायया है। कोभी भी सुधरी हुअी सरकार आम-जनताका बैसा खुला शोषण नहीं होने देगी। तिसपर हिन्दुस्तान-जैसे गरीब मुल्कमें होनेवाला यह शोषण तो हर तरह बुरा और बेरहमीसे भरा है।

छिपे हुअे मुनाफ़े

अपर जिन मुनाफ़ोंका जिक्र और छान-बीनकी गयी है, वे बैलेन्स शीटमें बताये हुअे मुनाफ़े हैं। यहाँ हमें यह भूलना न चाहिये कि पिछले सात बरसमें करीब-करीब सभी मिलोंने कपड़ेका और करोड़ोंकी कीमतकी दूसरी चीजोंका गुप्त संग्रह किया है, और खुसे जनतासे छिपाकर रखा है। मैनेजिंग अेजण्ट, खुनके दोस्त और साथियोंने कच्चा माल व मिलके लिये जरूरी सामान वगैरा खरीदनेमें और मिलका बना कपड़ा व सूत वगैरा बेचनेमें जो बेजा और पोशीदा नफ़ा कमाया है, वह खुस नफ़ेके अलावा है, जिसका जिक्र अपर किया जा चुका है। अगर जिसका हिसाब लगाया जाय, तो बेजा मुनाफ़ेकी यह रकम करोड़ोंकी निकले। मगर जिसका कोअी हिसाब-किताब न कमी रखा गया है, और न कमी रखा जायगा।

गाहकों और कपास पैदा करनेवालोंके हितोंकी कुरबानी

अपने निजी मुनाफ़ेके लिये मिल-मालिकोंका यह गुट कपास पैदा करनेवाले किसानोंके पेट पर पाँव रखनेमें भी नहीं हिचकिचाया। हाकिमोंके साथ खुनके ताल्लुकात जितने गहरे और खुनपर खुनका असर जितना भारी था कि अपने मुनाफ़ेकी भाजा बढ़ानेके लिये खुन्होंने कपासकी, यानी अपनी जरूरतके खास कच्चे मालकी कीमतें जितनी खुनसे बन सकीं उतनी कम रखवायीं। जिसकी वजहसे कुदरतन ही खुन्होंने कपास पैदा करनेवालोंको नुकसान पहुँचाकर अपने नफ़ेका हिस्सा और भी बढ़ा लिया। बेचारे गरीब किसानोंको, जो कपड़ोंके खरीदार भी हैं, दुतरफ़ा मार सहनी पड़ी। एक तरफ़ खुन्हें अपनी जरूरतका

कपड़ा बहुत अँचे दामों खरीदना पड़ा और, जिसके मुकाबले दूसरी तरफ़ खुन्हें अपनी खास पैदावार कपासके दाम कम मिले। लड़ाजीसे पहलेके सालमें कपासकी कीमतका जो जिण्डेक्स १०० था, मुकाबले लड़ाजीके दिनोंमें वही बढ़कर २१७ हो गया था, जब कि लड़ाजीसे पहलेके सालमें कपड़ेकी कीमतका जो जिण्डेक्स १०० था, वह लड़ाजीके दिनोंमें २७३ हो गया था। यहाँ मुझे यह बतला देना चाहिये कि कपास पैदा करनेवालोंके लगातार आन्दोलन करते रहनेसे अभी पिछले सालसे ही कपासकी कीमतें कुछ अँची चढ़ती मालूम होती हैं। अगर यह न हुआ होता, तो कपास और कपड़ेकी कीमतके जिण्डेक्सका फ़र्क जिससे भी ज्यादा खटकनेवाला होता। बम्बयीमें लोगोंके गुजारेके खर्चका जो जिण्डेक्स बनाया गया है, खुससे भी पता चलता है कि रोज़मर्राके कामकी दूसरी चीजोंके दामोंके मुकाबले कपड़ेकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह जिण्डेक्स तैयार करनेमें रोज़मर्राके काममें आनेवाली सभी चीजें शामिल कर ली गयी थीं। लड़ाजीसे पहलेके सालमें जिसे १०० मानें, तो लड़ाजीके दिनोंमें यह १८१ हो गया था। अगर जिसमें कपड़ा शामिल न किया जाता, तो यह आँकड़ा जिससे भी कम होता।

लड़ाजीके दिनोंमें हुअे मुनाफ़ेमें व्यापारियोंका हिस्सा

देशमें कपड़ेके थोक व्यापारियोंने जो मुनाफ़ा कमाया, खुसका किस्सा भी मजेदार है। सारे मुल्कमें जिस किस्मके व्यापारियोंकी तादाद ४००से ज्यादा नहीं है। सरकार और मिल-मालिक दोनोंने, खुन्हें अपने विद्वासमें लिया था, और अपनी सामूहिक ल्टमें खुन्हें मुनासिब हिस्सा दिया था। मौजूदा 'कलॉथ-कण्ट्रोल-बोर्ड'में, मिल-मालिकों, और कपड़ेके थोक व्यापारियोंके अलावा कुछ जिनेगिने लोग जैसे भी हैं, जिनके बारेमें कहा यह जाता है कि कपड़ेके शुयोगमें खुनका कोअी स्वार्थ नहीं। एक तो ऐसे लोगोंकी तादाद बहुत थोड़ी है, तिसपर अगर कमी वे कोअी आवाज झुठाते भी हैं, तो ये करोड़पति खुनका मुँह बन्द करनेके लिये अपने खास तरीके काममें लाते हैं। कपड़ेका बँटवारा करके समाजकी सेवा करनेवाले कपड़ेके थोक व्यापारीको कपड़े और सूतकी बिक्रीकी कीमतपर औसतन १ फ़ीसदी कमीशन मिलता था। यह कमीशन या दलाली अहमदाबादमें ३%, बम्बयीमें १.३% और दूसरे केन्द्रोंमें ३% से १.३% तक थी। जिसलिये मैने अपने कामके लिये १ फ़ीसदीका वाजिब औसत लिया है। कपड़ेके थोक व्यापारियोंको ६० करोड़ रुपयोंकी कुल बिक्री पर करीब ६० लाख रुपये देकर खुनकी सेवाका बदला चुकाया जाता था। 'कलॉथ-कण्ट्रोल-बोर्ड'ने अपनी जबरदस्त होशियारी दिखलाते हुअे जिस दलालीको बढ़ाकर बिक्रीकी कुल कीमत पर ३ फ़ीसदी कर दिया। जिस तरह जिन दलालोंकी दलाली तिगुनी हो गयी, मगर कपड़ेकी बढ़ी हुअी कीमतोंका खयाल करें, तो पता चलेगा कि सन् १९४४में जिन व्यापारियोंको ६० लाख रुपयोंके बदले ६ करोड़ रुपये मिले। यह रकम, मामूली वक्रतमें खुन्हें मिलनेवाली रकमसे दस गुनी ज्यादा है। यहाँ हमें जिस बातका भी खयाल रखना चाहिये कि जिसमें थोक व्यापारीको न तो कोअी जोखिम झुठाना पड़ता था, न पूँजी लगानी पड़ती थी, और न किसीकी कोअी सेवा ही करनी पड़ती थी। लड़ाजीसे पहलेके दिनोंमें समूचे मिल-शुयोगके मुनाफ़ेकी बराबरी करनेवाली ६ करोड़की यह जबरदस्त रकम सिर्फ खुनका मुँह बन्द करनेके लिये खुन्हें दी जाती थी। क्योंकि कपड़ेकी पैदावार और खुसके बँटवारेके करीब-करीब पूरे सवालको आपसी समझौतेसे हल करनेवाले मिल-मालिकों और सरकारके अेजण्टोंके काले कारनामोंको देशमें दूसरे किसीकी वनिस्वत वे व्यापारी ही ज्यादा जानते हैं। कलॉथ-कण्ट्रोल महकमेमें, यानी कपड़ेके बँटवारे और खुसकी कीमतोंका नियमन करनेवाले महकमे में, हज़ारों नौकर हैं, और खुन्हें बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती

हैं। जिसके सिवा, गैरकानूनी तौरपर, रिश्वत वगैराकी शकलमें, खुन्हें जो कुछ मिलता है, सो अलग ही है—क्योंकि आज यह बात किसीसे छिपी नहीं है। अगर क्लॉथ-कण्ट्रोलके जिस कामकी गहसूअकी साथ जाँच की जाय, तो जाँच करनेवालेको जिस बातका पूरा यत्न हो जाय, कि सरकारकी हुकूमत और शानकी आदमें आमलोगोंको ठगनेकी यह एक सुसंयोजित और सोच-समझकर की गयी धोखेबाजी ही थी। मेरी राय है कि यह धोखेबाजी अब एक दिनको भी न चलनी चाहिये, और यह सारा महकमा ही फ़ौरन बन्द कर दिया जाना चाहिये।

आजकी तंगीके लिये मिल-अधोगका स्वार्थ जिम्मेदार है जनवरी, १९४४में छपे अपने एक बयानमें मैंने यह कहा था कि आम लोगोंकी मौजूदा माली तंगी आर मुसीबतोंके लिये खास तौर पर कपड़ेका अद्योग जिम्मेदार है। पहले जिस अद्योगने ही क्रीमोंमें बढ़ानी शुरू की, और कुदरतन दूसरी चीजों पर भी खुसका असर पड़ा। अगस्त, सन् १९४२के बाद चीजोंकी क्रीमोंके रुख पर धौर किया जाय, तो मालूम होगा कि पहले कपड़ेकी क्रीमोंमें बढ़ने लगी, और उसके कुछ महीनों बाद दूसरी चीजोंके भाव बढ़े। जिस तरह जाहिर है कि कपड़ेके अद्योगसे जो अनर्थ-परम्परा शुरू हुई, खुसने देशकी माली हालतके तौलको खुलटनेमें खासा हिस्सा लिया है। अगर कागजी सिक्कोंके प्रसार या फैलावके आँकड़ोंपर भी धौर किया जाय, तो पता चलेगा कि सिक्कोंका यह प्रसार भी सन् १९४१ से कपड़ेकी बढ़ती हुई क्रीमतके साथ ही साथ बढ़ता गया है। और, जब सन् १९४२ के आखिरी ६ महीनोंमें और १९४३ के पहले ६ महीनोंमें कपड़ेकी क्रीमोंमें एकदम बढ़ गयी, तो खुन्हीं दिनों सिक्कोंका प्रसार भी बेहद बढ़ गया। मगर सिक्कोंका जितना फैलाव हो जानेपर भी दूसरी चीजोंके, और खासकरके कपास व अनाज के भाव खुसी हिसाबसे नहीं बढ़ पाये। जिसलिये हम जिस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि कपड़ेके अद्योगमें दिलचस्पी रखनेवालोंने अपना मतलब साधनेके लिये सारी अर्थ-व्यवस्थाको कुछ ऐसा घुमाव दे दिया, जिससे देशके दूसरे तबकेके लोगोंको नुकसान पहुँचाकर भी वे फ़ायदेमें रह सकें।

मुझे लगता है कि आज मुल्कमें जो काले बाजार, रिश्वतखोरीकी बुराई और पैसेकी तंगी पायी जाती है, वह बहुत हद तक कपड़ेकी मिलोंके अद्योगसे ताल्लुक रखनेवाले मिल-मालिकों, कपड़ेके व्यापारियों और मिलोंके लिये कच्चा और दूसरी तरहका जरूरी माल मुहैया करनेवाले सौदागरोंके हाथमें गैरमामूली तौर पर मनमाना रुपया आ जानेकी वजहसे है। और, यह कहने के लिये हमारे पास कारण भी मौजूद हैं। खुराकके बाद अिनसानकी दूसरी खास जरूरत कपड़ेकी है। जिसे ध्यानमें रखकर खुस वक्रतकी सरकारने, आम लोगोंके हितकी परवाह किये बिना, कपड़ेके खुदगारख कारखानादारोंकी मददसे, अिन जरूरतोंका बेजा फ़ायदा छुटाया। जिसलिये आम लोगोंके फ़ायदेके खयालसे जबतक जिस अद्योगका पूरी तरह और पुरअसर तरीकेसे नियमन नहीं किया जाता, तबतक जाहिर है कि फिरसे मामूली हालत पैदा करनेके लिये दूसरी दिशाओंमेंकी गयी हमारी सारी कोशिशें नाकाम साबित होंगी, और अिन नतीजों तक हम सब पहुँचना चाहते हैं, खुन तक पहुँच न सकेंगे।

मजदूरोंके हितोंकी भी खुरबानी की गयी

खूपर यह बतलाया जा चुका है कि मिल-मालिकोंने अपना मतलब गाँठनेके लिये आम लोगोंके हितको जान-बूझकर नुकसान पहुँचाया है। अब हम जरा यह देखें कि खुन्होंने अपने मजदूरोंके साथ भी वाजिब और अिनसाफ़का बरताव किया है या नहीं। जिस अद्योगमें काम करनेवाले मजदूरोंके साथ भी बेजा बरताव हुआ है, और खानगी हितोंकी बेदी पर खुनके हितोंका भी खून किया गया

है। मामूली तौर पर खुन्हें जितना मेहनताना नहीं दिया गया, जिससे वे महँगागीका पूरी तरह सामना कर सकें। बढ़ी हुई क्रीमतोंकी भरपायी के तौर पर खुनको दिया जानेवाला महँगागी-भत्ता ५० से ७५ फ़ीसदी तक ही दिया गया है। सिर्फ़ एक अहमदाबाद में संगठित लड़ाई लड़नेके कारण वहाँके मजदूर १०० फ़ीसदी महँगागी-भत्ता पा सके हैं। मगर अिनसाफ़की जिस एक ही मिसाल को भी मिल-मालिकोंने पिछले साल अिण्डस्ट्रियल कोर्ट—मजदूरों और मिल-मालिकोंके बीच होनेवाले झगड़ोंको निपटानेवाली अदालत—के एक फ़ैसले के जरिये बेकार बना दिया है। अदालतने जिस बिना पर मजदूरोंका महँगागी-भत्ता १०० से ७५ फ़ीसदी कर दिया कि जिस अद्योगके दूसरे मरकजोंमें वहाँके मजदूरोंको पूरा-पूरा भत्ता नहीं दिया जाता। जिससे पता चलेगा कि ज्यादातर मिल मजदूरोंको अपनी रहन-सहनका दरजा कम करके काम करना पड़ता था। वे लड़ाईसे पहलेके दिनोंकी अपनी रहन-सहन के दरजेको टिका न सके। अिनदगीके लिये जरूरी रोजके अिस्तेमाल की चीजोंके दाम और खुन्हें मिलनेवाली मजदूरीको देखें, तो साफ़ मालूम होता है कि खुनकी मजदूरी की दरें कम हो गयी हैं, यानी दरअसल जो मजदूरी खुन्हें मिलनी चाहिये थी, खुससे १५ से २५ फ़ीसदी कम मजदूरी खुन्हें मिलती है।

निर्ध-बन्दी

मजदूरोंसे ताल्लुक रखनेवाले सवालियोंके अपने अभ्यासके सिल-सिलेमें, कानूनकी निगाहसे क्लॉथ-कण्ट्रोल-बोर्ड द्वारा, मगर दरअसल मिल-मालिकों द्वारा तैयार की गयी मालकी खूची-से-खूची क्रीमतोंकी फ़ेहरिस्तें देखनेका मौक़ा मुझे कभी बार मिला है। जिस निर्ध-नामेकी बारीकीसे जाँच की जाय, तो पता चलेगा कि फैन्सी और रंगीन कपड़ेकी दरोंमें बुनियादी दरोंके मुकाबले जो अिजाफ़ा किया गया है, वह खूली या दिन दहाड़ेकी छटके सिवा और कुछ नहीं है। मिलोंमें कपड़ा बनाने में बढ़ी हुई मजदूरी, जरूरी चीजोंकी बढ़ी हुई क्रीमतों, या पदावारकी कमी वगैराकी वजहसे जो ज्यादा खर्च लगता है, उसके मुकाबले तैयार मालकी क्रीमतोंमें किया गया अिजाफ़ा कहीं ज्यादा है। थोड़ेमें, मिल-मालिकोंने दिखावा तो यही किया कि वे आम-जनताके हितकी हिफ़ाजत कर रहे हैं, मगर दरअसल खुन्होंने कण्ट्रोल बोर्डमें हर तरीकेसे अपना मुनाफ़ा बढ़ानेकी पूरी-पूरी कोशिश की।

जिस हालतको सुधारनेके अुपाय

मरकजी और सूबेकी लोकप्रिय सरकारोंको चाहिये कि वे जिस हालतको अब और ज्यादा दिनों तक न निबाहें। खुन्हें चाहिये कि वे जल्दी-से-जल्दी, बिना देर लगाये, और बिना अिन मिल-मालिकोंके बनावटी रोने-चिल्लानेकी परवाह किये, जिस सवालको अपने हाथमें लें। अगर ये मिल-मालिक चाहें, तो वे जिस मामलेमें सरकारको गुमराह भी कर सकते हैं। मरकजी सरकारको चाहिये कि वह मौजूदा क्लॉथ-कण्ट्रोल-बोर्डको तोड़कर जिस संगठित धोखेबाजीका खात्मा कर दे। जिस बोर्डने सिर्फ़ मिल-मालिकोंका भला किया है। जिस बोर्डको तोड़ देनेके बाद जिसके अफ़सरोंको मेरी सुझाई नयी व्यवस्थामें किसी भी हैसियतसे कोअी काम न सौंपा जाय। कपड़ेकी पैदावार और बिक्रीकी बुराअियोंको दूर करनेके लिये बतौर अिलाजके और हमेशा काम आनेके खयालसे मैं अपने कुछ सुझाव नीचे देता हूँ—

१. भारत-सरकार एक कानून पास करके 'टेक्सटाइल कण्ट्रोल अेण्ड सप्लाय कमीशन'—यानी कपड़ेका नियमन और बँटवारा करनेवाली एक संस्था—कायम करे। जिसका काम सिर्फ़ आम लोगोंके फ़ायदेका खयाल रखकर कपड़ेकी पैदावारका नियमन और खुसके बँटवारेका अिनतजाम करना हो।

२. कपड़े और सूतके बँटवारेका काम करनेवाली व्यापारियोंकी मौजूदा पेड़ियाँ बन्द कर दी जायें।

३. सर्वोकी सरकारोंको चाहिये कि वे परवाने देकर अिस कामके लिये नये व्यापारी खड़े करें, और खुदसे काफी नक़द जमानतें लें।

४. अिस कमीशनके किसी भी कानून या खुसके किसी भी हुकमको तोड़नेवालेको जेलकी सजाके साथ भारी जुर्मानेकी सजा दी जाय, और वह पुलिसके तहतका जुर्म (कॉग्निजबल ऑफेन्स) माना जाय।

अहमदाबाद, ४-११-४६

खण्डुभाजी के० देसाजी

(अंग्रेज़ीसे)

श्रीरामपुरकी डायरी

(पृष्ठ ४८२से आगे)

भगवानका सहारा लेता है। आप सब अिस अेक चीज़को अच्छी तरह समझ लीजिये कि जालिमका जुल्म तभी बे-लगाम बनता है, जब जुल्मके शिकार बननेवाले लोग खुसे चुपचाप सह लेते हैं। अगर आप सब अपने दिलोंसे डरको निकाल भगायें, तो किसीको आप पर जुल्म करनेकी अिच्छा ही न हो, और कोअी जुल्म करना चाहे भी, तो कर न सके।

नोआखालीमें रहनेका मक़सद

सोमवार, ता० २३ दिसम्बर, १९४६के दिन गांधीजीने प्रार्थनाके बाद जो तक्ररीर की थी, हिन्दुस्तानके अेसोशियेटेड प्रेस द्वारा प्रचारित खुसकी सही रिपोर्ट नीचे दी जाती है—

गांधीजीने कहा—“शुरूमें मुझे चन्द निजी बातोंका अिक्र करना है। मेरे नाम आये कअी खतों, और अखबारोंमें छपे बहुतसे लेखों और टीकाओंमें यह कहा गया है कि मेरे बराबर नोआखालीमें ही बने रहनेसे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच भाअीचारेके पैदा होनेमें रुकावट पड़ती है, क्योंकि यहाँ मेरा अिरादा बंगालकी लीगी वज़ारतको बदनाम करनेका ही है।

“अभी दो दिन पहले ही मैंने अपने बारेमें सुनी अेक अफ़वाहका जवाब देनेकी कोशिश की थी। अफ़वाह यह थी कि मैं यहाँ नोआखालीमें बैठा छिपे-छिपे बड़े पैमाने पर सत्याग्रहकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अिससे पहले भी यह बात साफ़-साफ़ कह चुका हूँ कि लुक-छिपकर या पोखीदा तौरपर मैं कोअी काम कर ही नहीं सकता। अगर मैं पोखीदागीका या झुठाअीका सहारा लूँ, तो मेरा सत्याग्रह सत्याग्रह न रहकर दुराग्रह बन जाय।

“आज मैं देख रहा हूँ कि मुझपर यह जो दूसरा अिलजाम लगाया गया है, अिसका अिक्र अिससे पहले मैं कर ही चुका हूँ, खुसका जवाब देना अरूरी हो गया है। मैं साफ़ लफ़्जोंमें यह अैलान करना चाहता हूँ कि जिनके बीच आज कड़ुवाहट पैदा हो गयी है, और जो अेक-दूसरेसे अिलकुल जुदा हो गये हैं, उन हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सचे दिलकी दोस्ती और भाअीचारा पैदा करनेके अिरादेसे ही मैं बंगाल आया हूँ। जब मैं देखूंगा कि मेरा यह अिरादा अच्छी तरह पूरा हो गया है, तो फिर मेरे लिये यहाँ ज़्यादा दिन रहनेकी कोअी अरूरत न रह जायगी।

“बंगालका राज-काज चलानेवाली लीगी सरकारको परेशान करनेका मेरा कोअी अिरादा कभी हो नहीं सकता। अिसके अिलफ़ाफ़, यहाँकी वज़ारतके साथ और यहाँके सरकारी अफ़सरोंके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ही दोस्ताना ढब के रहे हैं, और मुझपर अिसकी यह छाप पड़ी है कि वे सब सुलह व शान्ति कायम करनेके मेरे अिस मिशनको पसन्द करते हैं। अभीतक मुझको अिस बातका कोअी अिशारा नहीं मिला है कि मेरे यहाँ रहनेसे किसीको भी कोअी परेशानी हो रही है। अगर खुद सरकारको अिसका यक़ीन हो चुका हो, तो खुसका यह फ़र्ज है कि वह अपने अिला मजिस्ट्रेट और अिलेके पुलिस अफ़सरको ह़िदायत दे कि वे मुझे मेरी अलती अाजित करके अिसायें।

लेकिन अबतक अिन दो में से किसी भी अफ़सरने अिस तरहका कोअी अिशारा तक नहीं दिया है। अगर खुद मुझे यक़ीन हो गया कि यहाँ रहनेमें मुझसे अलती हुअी है, तो मैं यहाँसे चले जानेमें ज़रा भी अिचकिचाऊंगा नहीं।

“मेरे पास दूसरी जगह मेरे ध्यान देने लायक़ डेरों काम पड़ा है। पहला खुदकीकांचन है, जहाँ कुदरती अिलाजके मेरे प्रयोग चल रहे हैं; दूसरा सेवाग्राम है, और फिर दिल्ली है, जहाँ मेरी मौजूदगी किसी काम आ सकती है। मेरी यह दिल्ली अाहिश है कि हमारे अिन नेताओंको मुझसे सलाह-मशविरा करनेके लिये यहाँ अितनी दूर आनेकी तकलीफ़ थुठानी पड़ती है, खुससे मैं खुन्हें बचा लूँ। लेकिन निजी तौरपर मुझे अिस बातका पक्का यक़ीन हो गया है कि मैंने जो काम यहाँ अपने सिर लिया है, वह समूचे हिन्दुस्तानके लिये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर मैं अपने अिस मिशनमें कामयाब हुआ, तो हिन्दुस्तानके भविष्य पर खुसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, और अगर मुझे कहने दिया जाय, तो मैं कहूँगा कि सारी दुनियाकी सुलह और शान्तिके भविष्य पर भी खुसका असर पड़ेगा। क्योंकि अिस कामसे अहिंसाके बारेमें हमारी श्रद्धाकी परख हो जायगी।

“बिहारमें पिछले दिनों जो जुल्म हुअे, उनके बारेमें बिहार प्रान्तकी मुस्लिम लीगकी तरफ़से निकाली गयी रिपोर्टकी अेक कॉपी मेरे नाम भेजी गयी थी, और वह मुझे मिली है। खुसे मैं बहुत शौरके साथ पढ़ गया हूँ। पढ़ते-पढ़ते मैंने महसूस किया कि खुसमें बहुतसी बातें बढ़ा-चढ़ा कर लिखी गयी हैं। ताहम खुस रिपोर्टकी बिना पर मैंने अपनी तरफ़से पूछ-ताछ शुरू की है। अिसमें तो कोअी शक नहीं कि बिहारमें जो वारदातें हुअीं, उनमें बहुत ज़्यादा हैवानियत थी, चुनाँचे वे अिस काबिल थीं कि कड़े-से-कड़े लफ़्जोंमें उनकी निन्दा की जाय। रिपोर्ट में जो बातें बढ़ा-चढ़ाकर कही गयी हैं, उनकी वजहसे समूची तसवीरकी असलियतका जो धिनाँनापन है, वह कुछ कम हो जाता है। मुझे यह यक़ीन दिलाया गया है कि अब बिहारमें शान्ति छा गयी है। अिसका अिश्वास हो जाने पर ही मैंने अपनी मामूली ख़राक़ शुरू की थी।”

फिर यह समझाते हुअे कि वे खुद बिहार क्यों नहीं गये, गांधीजी ने कहा—“वहाँ न जानेकी अेक ही वजह थी, और वह यह थी कि यहाँ अितनी दूर बैठे-बैठे भी मैं अच्छी तरह वहाँके काम पर अपना निजी असर डाल सकता था। लेकिन लीगकी रिपोर्टमें बिहारकी अिस हालतका बयान किया गया है, खुसके आज भी वैसी ही होनेकी कोअी वजह मुझे मिले, और मुझको यह अिश्वास हो जाय कि दोस्तोंने मुझे अलत यक़ीन दिलाकर मुलावेमें डाला था, तो बेशक मेरी जगह बिहारमें ही होगी, और अिसके साथ ही मैं यह भी क़बूल कर लूँगा कि खुस हालतमें मैं अिस देहके साथ जी नहीं सकूँगा, और अिन्दा लोगोंकी दुनियामें मेरे लिये कोअी जगह न रह जायगी।

लेकिन अिसके साथ ही मैं यहाँ लोकमतके नेताओंको अेक चेतावनी दिये बिना नहीं रह सकता। उनके सिर गहरी अिम्मेदारी है। किसी भी बातको माननेके लिये बेसबर बनी हुअी जनता उनकी बातको सच ही मानेगी। और यह किसीसे छिपा नहीं है कि अिस तरहकी बातों पर यक़ीन करके लोग किस रास्ते बहक जाते हैं, और खुसके कितने बुरे नतीजे निकलते हैं। यह कहते वज़त मेरे सामने यह अजाल नहीं है कि ये नेता मुस्लिम लीगके हैं या कांग्रेसके।

(अंग्रेज़ीसे)

विषय-सूची

श्रीरामपुरकी डायरी	...	पृष्ठ
हिन्दुस्तानके पुतलीघर	...	४८१
हिन्दुस्तानका वल-व्यवसाय	...	किशोरलाल व० मशरूवाला ४८४
	...	खण्डुभाजी के० देसाजी ४८५